

राजस्थान सरकार  
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग  
क्रमांक प 5(19)श्रनि/2018

जयपुर, दिनांक

05 AUG 2019

आदेश

निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से जागो किये जाते हैं:-

क्र सं	कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	शशिकान्त शर्मा	उप निदेशक	उपनिदेशक (प्रशासनिक) प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा, उदयपुर	उपनिदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा जयपुर श्री सुनील जोशी के स्थान पर	स्वेच्छा से
2.	सुनील जोशी	उप निदेशक	उपनिदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा जयपुर	उपनिदेशक (प्रशासनिक) प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा, उदयपुर श्री शशिकान्त शर्मा के स्थान पर	-
3.	सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल	उप निदेशक	उपनिदेशक प्रशिक्षण, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय उदयपुर	निदेशालय जोधपुर (आर. सी.वी.ई.टी.) श्री धर्मेन्द्र शर्मा के स्थान पर	स्वेच्छा से
4.	धर्मेन्द्र शर्मा	उप निदेशक	निदेशालय जोधपुर (आर.सी.वी.ई.टी.)	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर	-
5.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	उप निदेशक	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर	उपनिदेशक प्रशिक्षण, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय उदयपुर श्री सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर	-
6.	लुभाष चन्द्र राठौड	उप निदेशक	निदेशालय जोधपुर	उपनिदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर रिक्त पद पर	-

उक्त आदेश माननीय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार) की उ.शा.टीप क्रमांक राम/यु.खे/2019/1073 दिनांक: 01.08.2019 के क्रम में किये जाते हैं। संबंधित अधिकारियों अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करें।

(राजेन्द्र किशन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
- 3 आयुक्त, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
- 4 निदेशक, (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राज. जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों में कोई लिपिकीय/तकनीकी त्रुटी हो अथवा पद रिक्त नहीं हो, तो संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण न करावें एवं प्रकरण मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को अविलम्ब प्रेषित करें। साथ ही इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का श्रम करें।
- 5 संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राज. जोधपुर
- 6 रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र किशन)  
संयुक्त शासन सचिव